कीमत स्टाम्प और उन तमाम तहरीरात जरूरी की नकल जो महकमा रजिस्ट्री में की गई हो	नम्बर शुमार मन्दरजात और किस्म व मालियत मुआमला और तादाद रसूम रजिस्ट्री आदि और तादाद तावान वसूल शुद	नकल दस्तावेज रजिस्ट्री शुदा	कैफियत
9 18/87 वसीयतनामा [illegible] [illegible] पर [illegible] भू.	नं० 26 वसीयतनामा की = 50—00 न = 2—00 52—00	(वसीयतनामा) मैं गुलाम मुहम्मद पुत्र सुलतान पुत्र मकसूद उर्फ लड्डू ग्राम नगाली परगना जसौर तह० चुराह जिला चम्बा आयु 55 साल हूँ। (1) जोकि मेरी भूमी व मकान वाकिया ग्राम नगाली मुहाल मान्धू परगना जसौर तह० चुराह जिला चम्बा है जिन का मुजहर मालिक काबिज व काबिज है। (2) यह कि लगभग 18/19 साल से मेरी टहल सेवा व काम खेती आदि के इमदाद मुसमी गुलामनबी पुत्र मेजान पुत्र हबीब ग्राम नगाली परगना जसौर मुसलसल करता चला आया है। इसी से आईंदा भी टहल सेवा आदि की उम्मीद है। दीगर कोई नहीं करता। न ही दीगान से उम्मीद ही है। जिन्दगी हयातफानी का कोई भरोसा नहीं है मुजहर नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद मेरी उपरोक्त सम्पति झगड़ों में बरबाद हो जावे और मुसमी गुलामनबी उक्त जो टहल सेवा आदि करता बाद मेरे परलोक पर रह जावे। इस लिए मुजहर आज दिन अपने होश व हवास में बिना किसी दबाओ के अपनी रजामन्दी व खुशी से अपनी उपरोक्त तमाम सम्पति अचल व [illegible] मुसमी गुलाम नबी वसीयत करता और लिख देता है कि ताहयात मुजहर मेरी उपरोक्त सम्पति मेरे कब्जा व इस्तेमाल में रहेगी। मेरे मरने के बाद मेरी उपरोक्त तमाम अचल सम्पति का किसल मौसी इलेह [illegible] मालिक है। और मेरी काबिल व काबिज है।	

उप पंजीकार (उप रजिस्ट्रार) चुराह

आज दिनांक 18.2.87 तदानुसार ब-रोज बुधवार [illegible] बजे 3 बजे के दरम्यान बमु[illegible] [illegible] इस [illegible] वसीयतनामा बर[illegible] मुकाम [illegible] मुख्तारनामा श्री गुलाम मुहम्मद पुत्र सुलतान निवासी नगाली तहसील चुराह जिला चम्बा ने स्वयं आ कर के कार्यकर्ता रजिस्ट्रेट मुकाम तीसा [illegible] [illegible] बजे रजिस्ट्रेशन पेश किया।

हस्ताक्षर पेश कुनिंदा सब-रजिस्ट्रार सं० चुराह

श्री गुलाम मुहम्मद को शनाखत श्री श्री सुभाष चन्द पुत्र [illegible] [illegible] करता है, श्री [illegible] [illegible] गुलाम मुहम्मद [illegible] करता है। [illegible] वसीयतनामा करता है। [illegible] स्वयं परिचित हूं। [illegible] पढ़ कर पेश कुनिंदा [illegible] उसने सुन व समझ [illegible] तहरीर व दुरुस्त [illegible]

1 [illegible] वसूल कर लिया [illegible] नहीं हुआ। 2 [illegible] मुख्त्यार से [illegible] बाकी [illegible] ने मुझ्झी [illegible] स्वीकार किया वसीयतनामा

1. हस्ताक्षर पेश कुनिंदा
2. हस्ताक्षर [illegible]
3. हस्ताक्षर गुवाह [illegible]

सब-रजिस्ट्रार सं० चुराह

कीमत अस्टाम्प और उन तमाम तहरीरात जहरी की नकल जो महकमा रजिस्ट्री में की गई हो	नम्बर शुमार मन्दरजात और किस्म व मालियत मुआमला और तादाद रसूम रजिस्ट्री आदि और तादाद तावान वसूल शुद	नकल वसीका रजिस्ट्री शुद	कैफियत
18/2/87 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त ने अपना-२/अपने-२ अंगूठे/हस्ताक्षर हमारे समक्ष किए हैं	सब-रजिस्ट्रार तह० चुराह	रसूमात मर्ग भी मेरे मरने पर खुशी इल्लैद उम्र ही करेगा। दीगर हकदारान को मेरी उपरोक्त सम्पति से कोई हक तअल्लुक व वास्ता किसी प्रकार का न होगा। अतः वसीयतनामा हज़ा सुन व समझकर और दुरुस्त तसलीम करके रूबरू साक्षीगण बहक मुसम्मी गुलाम नबी उर्फ लिखवा दिया कि प्रमाण हो। मिति 9-2-1987.	

साक्षी	हस्ताक्षर	साक्षी
रमजान पुत्र गुलाम मुहम्मद ग्राम बलोड परगना लोह टिकरी. 0 अंगूठा निशान.	गुलाम मुहम्मद मुसमी उक्त. sd/- उर्दू.	शेर मुहम्मद पुत्र अहमद ग्राम नयाली परगना जसौर 0 अंगूठा निशान

53-54

वसीका का संख्या 26 ... 7 ... 18.2.87 रजिस्ट्रीकृत
सब-रजिस्ट्रार

लेखक :- अल्लादाद वसीका नवीस सदर चम्बा.

मोहर

No. 68.
Sd/- Allah Dad.
D.W.
Chamba.
9-2-87